रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07062022-236375
SG-DL-E-07062022-236375

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]	दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2022/ज्येष्ठ 17, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 123
No. 12]	DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2022/JYAISTHA 17, 1944	[N. C. T. D. No. 123

भाग II—I
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 7 जून, 2022

सं. मु.चु.अ./चु.सं./102(42)/2022/16002.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

भारत निर्वाचन आयोग

निदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

सं. 576/3/इवीएम/2022/एसडीआर/खंड-II.—यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह प्रावधान किया गया है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान और मतों का अभिलेखन ऐसी रीति, जैसी कि निर्धारित की जाए, से ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे; और

2. यत:,निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथाअनुमोदित डिजाइन वाले ड्राप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ भी जोड़ा जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश दिया जाए; और

3. यत:, निर्वाचन आयोग ने **दिनांक 25 मई, 2022 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./52/2022 के तहत घोषित पंजाब के 12-संगरूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तरप्रदेश के 7-रामपुर एवं 69-आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, त्रिपुरा के 6-अगरतला, 8-टाउन बोरडोवाली, 46-सुरमा (अ.जा.) एवं 57-जुबराजनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, आंध्रप्रदेश के 115-अट्माकुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 39-राजिन्द्र नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और झारखण्ड के 66-मान्डर (अ.ज.जा.)विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए** सभी निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों पर विचार किया है, और निर्वाचन आयोग संतुष्ट है कि उक्त सभी संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करवाने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीनें तथा पेपर ट्रेल [वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट)] मुद्रित करने के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं, मतदान कार्मिक, इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए पूर्ण प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों(ई वी एम) एवं वीवीपैट प्रिंटरों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं।

4. अत:, अब भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा **दिनांक 30.05.2022 को अधिसूचित पंजाब के 12-संगरूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तरप्रदेश के 7-रामपुर एवं 69-आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, त्रिपुरा के 6-अगरतला, 8-टाउन बोरडोवाली, 46-सुरमा (अ.जा.) एवं 57-जुबराजनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, आंध्रप्रदेश के 115-अट्माकुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 39-राजिन्द्र नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और झारखण्ड के 66-मान्डर (अ.ज.जा.)विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के चालू उप निर्वाचनों के लिए** को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है,जहां निर्वाचनों का संचालन नियम,1961 के अधीन तथा इस विषय में आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुपूरक अनुदेशों के अंतर्गत विहित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे।

5. निर्वाचन आयोग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट प्रिंटरों, जिन्हें उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में मत डालने और रिकॉर्ड करने के लिए उपर्युक्त मशीनों से जोड़ा जाएगा, के डिजाइन को भी एतद्वारा अनुमोदित करता है।

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

आदेश से,

राजेश कुमार, विशेष मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 7th June, 2022

No. CEO/COE/102(42)/2022/16002.—The following is published for general information:—

ELECTION COMMISSION OF INDIA

DIRECTION

New Delhi, the 6th June, 2022

No. 576/3/EVM/2022/SDR-VOL-II.—Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be

prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify; and

2. Whereas, as per the proviso to Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a Printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct; and

3. Whereas, the Election Commission has considered the circumstances in **current bye-elections in 12-Sangrur Parliamentary Constituency of Punjab, 7-Rampur Parliamentary Constituency & 69-Azamgarh Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 06-Agartala, 08-Town Bordowali, 46-Surma(SC) & 57-Jubarajnagar Assembly Constituencies of Tripura, 115-Atmakur Assembly Constituency of Andhra Pradesh, 39-Rajinder Nagar Assembly Constituency of NCT of Delhi and 66-Mandar(ST) Assembly Constituency of Jharkhand, announced vide the Election Commission's Press Note No. ECI/PN/52/2022 dated 25th May,2022** and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines (EVMs) and Printers for printing Paper Trail [Voter Verifiable Paper Audit Trail(VVPAT)] are available for taking the poll in above said Parliamentary Constituency and Assembly Constituency, the polling personnel are well trained in efficient handling of EVMs and 'VVPAT Printers' and the electors are also fully conversant with the operation of the EVMs and the VVPAT Printers;

4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby specifies **12-Sangrur Parliamentary Constituency of Punjab, 7-Rampur Parliamentary Constituency & 69-Azamgarh Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 06-Agartala, 08-Town Bordowali, 46-Surma(SC) & 57-Jubarajnagar Assembly Constituencies of Tripura, 115-Atmakur Assembly Constituency of Andhra Pradesh, 39-Rajinder Nagar Assembly Constituency of NCT of Delhi and 66-Mandar(ST) Assembly Constituency of Jharkhand, notified on 30.05.2022,** as the constituencies in which the votes shall be given and recorded by means of EVMs and VVPAT printers in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Election Commission from time to time on the subject.

5. The Election Commission also hereby approves the design of EVMs and VVPAT Printers as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said machines, to be used for the giving and recording of votes in the above said Parliamentary and Assembly Constituencies

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Sr. Pr. Secy.

By Order,

RAJESH KUMAR, Special Chief Electoral Officer, Delhi

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07062022-236377
SG-DL-E-07062022-236377

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2022/ज्येष्ठ 17, 1944 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 125
No. 14] DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2022/JYAISTHA 17, 1944 [N. C. T. D. No. 125

भाग II—I
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 7 जून, 2022

सं. मु.चु.अ./चु.सं./102(42)/2022/15999.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

सं.3/4/आईडी/2022/एसडीआर/खण्ड-II.—1. यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरुपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों का उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रुप में निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के उपयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंध किए जा सकते हैं, तथा

2. यतः निर्वाचकों का रजिस्ट्रिकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरुपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके, निर्वाचको को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो-पहचान पत्र जारी करने के लिए निदेश देने की शक्ति प्रदान करता है; तथा

3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज(3) और 49 ट(2) (ख) में यह उपबंधित है कि जहाँ किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रिकरण नियम, 1960, के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिए गए हैं, वहां निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिखाना होगा तथा उनकी ओर से उन निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने या दिखाने में असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इन्कार किया जा सकता है; तथा

4. यतः, उक्त अधिनियम, और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता हैं, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रुप में प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों का एक साथ प्रयोग करना होता है; तथा

5. यतः, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र ई0पी0आई0सी0 जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया है; तथा

6. यतः, पंजाब, उत्तरप्रदेश, त्रिपुरा, आंध्रप्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और झारखण्ड़ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश के निर्वाचकों को 100% निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं, तथा

7. अतः, अब, सभी संबद्ध कारकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, यह निदेश देता है कि**दिनांक 30.05.2022को अधिसूचित पंजाब के 12-संगरूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तरप्रदेश के 7-रामपुर एवं 69-आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, त्रिपुरा के 6-अगरतला, 8-टाउन बोरडोवाली, 46-सुरमा (अ.जा.) एवं 57-जुबराजनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, आंध्रप्रदेश के 115-अट्माकुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 39-राजिन्द्र नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और झारखण्ड़ के 66-मान्डर (अ.ज.जा.)विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के चालू उप निर्वाचनों के लिए** सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगाः-

i. आधार कार्ड।

ii. मनरेगा जॉब कार्ड,

iii. बैंको / डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक,

iv. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,

v. ड्राइविंग लाइसेन्स,

vi. पैन कार्ड,

vii. एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,

viii. भारतीयपासपोर्ट;

ix. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,

x. केन्द्र/ राज्य सरकार/ लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, और

xi. सांसदो/ विधायकों / विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र,

xii. यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

8. एपिक के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते निर्वाचक की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया हैं, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतू स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान

केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को उपर्युक्त पैरा 7 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

9. उक्त पैरा 7 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

आदेश से,

राजेश कुमार, विशेष मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 7th June, 2022

No. CEO/COE/102(42)/2022/15999.—The following is published for general information:—

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 6th June, 2022

No. 3/4/ID/2022/SDR/VOL.II.—1. Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electors Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Elector Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Elector Photo Identity Card may result in the denial of permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Elector Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, as the means of establishing their identity at the time of polling and that both are to be used together; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Elector Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme; and

6. Whereas, Elector Photo Identity Card have been issued to approximate 100% electors in the States/UT of Punjab, Uttar Pradesh, Tripura, Andhra Pradesh, NCT of Delhi & Jharkhand; and

7. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that for the **current bye-elections in 12-Sangrur Parliamentary Constituency of Punjab, 7-Rampur Parliamentary Constituency & 69-Azamgarh Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 06-Agartala, 08-Town Bordowali, 46-Surma(SC) & 57-Jubarajnagar Assembly Constituencies of Tripura, 115-Atmakur Assembly Constituency of Andhra Pradesh, 39-Rajinder Nagar Assembly Constituency of NCT of Delhi and 66-Mandar(ST) Assembly Constituency of Jharkhand,**

Notified on 30-05-2022, all electors who have been issued EPIC shall produce the EPIC for their identification at the polling station before casting their votes. Those electors who are not able to produce the EPIC shall produce one of the following alternative photo identity documents for establishing their identity: -

(i) Aadhaar Card,

(ii) MNREGA Job Card,

(iii) Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office,

(iv) Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour,

(v) Driving License,

(vi) PAN Card,

(vii) Smart Card issued by RGI under NPR,

(viii) Indian Passport,

(ix) Pension document with photograph,

(x) Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt./PSUs/Public Limited Companies, and

(xi) Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs.

(xii) Unique Disability ID (UDID) Card, M/o Social Justice & Empowerment, Government of India

8. In the case of EPIC, clerical errors, spelling mistakes, etc. should be ignored provided the identity of the elector can be established by the EPIC. If an elector produces an EPIC which has been issued by the Electoral Registration Officer of another Assembly Constituency, such EPIC shall also be accepted for identification provided the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting. If it is not possible to establish the identity of the elector on account of mismatch of photograph, etc. the elector shall have to produce one of the alternative photo documents mentioned in Para 7 above.

9. Notwithstanding anything in Para 7 above, overseas electors who are registered in the electoral roll under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950, based on the particulars in their Indian Passport, shall be identified on the basis of their original passport only (and no other identity document) in the polling station.

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Sr. Pr. Secy.

By Order,

RAJESH KUMAR, Special Chief Electoral Officer, Delhi

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-07062022-236374
SG-DL-E-07062022-236374

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13]	दिल्ली, मंगलवार, जून 7, 2022/ज्येष्ठ 17, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 124
No. 13]	DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2022/JYAISTHA 17, 1944	[N. C. T. D. No. 124

भाग II—I
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 7 जून, 2022

सं. मु.चु.अ./च.सं./102(42)/2022/16005.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2022

सं. 576/एक्जिट/2022/एसडीआर/खण्ड-II.—यतः निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 25 मई, 2022 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./52/2022 के तहत घोषित पंजाब के 12-संगरूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के 7-रामपुर एवं 69-आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, त्रिपुरा के 6-अगरतला, 8-टाउन बोरडोवाली, 46-सुरमा (अ.जा.) एवं 57-जुबराजनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, आंध्र प्रदेश के 115-अट्माकुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र दिल्ली के 39-राजिन्द्र नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और झारखण्ड के 66-मान्डर (अ.ज.जा.)विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कार्यक्रम की घोषणा की गई थी; और:

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (संक्षेप में लो.प्र.अधिनियम, 1951) की धारा 126क में यह निर्दिष्ट किया गया है कि " *(1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।*

(2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात :-

(क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रह सकेगी;

परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।"

अब, इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, 23.06.2022 (बृहस्पतिवार) को पूर्वाहन **7.00 बजे से अपराह्न 6.30** बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपर उल्लिखित उप-निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त उप-निर्वाचनों में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

आदेश से,

राजेश कुमार, विशेष मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 7th June, 2022

No. CEO/COE/102(42)/2022/16005.—The following is published for general information:—

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2022

No. 576/EXIT/2022/SDR/Vol.II.—Whereas, the schedule for the bye election to the **12-Sangrur Parliamentary Constituency of Punjab, 7-Rampur Parliamentary Constituency & 69-Azamgarh**

Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 06-Agartala, 08-Town Bordowali, 46-Surma(SC) & 57-Jubarajnagar Assembly Constituencies of Tripura, 115-Atmakur Assembly Constituency of Andhra Pradesh, 39-Rajinder Nagar Assembly Constituency of NCT of Delhi and 66-Mandar(ST) Assembly Constituency of Jharkhand, announced vide the Election Commission's Press Note No. ECI/PN/52/2022 dated 25th May, 2022.

And whereas, Section 126A of The Representation of the People Act, 1951(in short R.P. Act, 1951) specifies that"(1) *No person shall conduct any exit poll and publish or publicise by means of the print or electronic media or disseminate in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard.*

(2) For the purposes of sub-section (1), the Election Commission shall, by a general order, notify the date and time having due regard to the following, namely:—

(a) in case of a general election, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll in all the States and Union territories;

Provided that in case of a number of bye-elections held together on different days, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the last poll.

(3) Any person who contravenes the provisions of this section shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both."

Now, therefore, in exercise of the powers under sub-Section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of Sub-Section (2)(b) of the said Section, hereby notifies the period between **7.00 A.M.** and **6.30 P.M.** on **23-06-2022(Thursday),** as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the aforesaid bye-elections, shall be prohibited.

It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll for the aforesaid bye-elections.

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Sr. Pr. Secy.

By Order,

RAJESH KUMAR, Special Chief Electoral Officer, Delhi

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.06.07 22:54:41 +05'30'